संख्या-112/2016/1752/41-16-156 यो0/2015

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

विषय- जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में दशाश्वमेघ घाट एवं राजघाट घाट के निर्माण की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-982/6-1-1 (616)/2015, दि0 05-10-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में घाटों के जीर्णोद्धार हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट करापोरेशन लि0 द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त दशाश्वमेघ घाट के विस्तार एवं जीर्णोद्धार हेतु धनराशि रू0 329.95 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 164.39 लाख की वित्तीय स्वीकृति तथा राजघाट के विस्तार एवं जीर्णोद्धार हेतु रू0 221.39 लाख धनराशि की प्रशासकीय एवं रू0 110.69 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 127/2015/2064 /41-15-156 यो0/15, दिनांक 04.09.2016 द्वारा प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश सं0 44/2016/ 455/41-16-15 यो0/2016, दिनांक 22.03.2016 द्वारा रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में दशाश्वमेघ घाट के विस्तार एवं जीर्णोद्धार हेतु अवशेष धनराशि रू0 64.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति तथा राजघाट के विस्तार एवं जीर्णोद्धार हेतु अवशेष धनराशि रू0 10.70 लाख अर्थात रू0 75.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(3) कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) कार्यों की मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(7) योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रगति के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

4. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-"5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों के पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-112/2016/1752(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, सीतापुर।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
7- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ।
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।